


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
२.५.१८	<p>         बत्रावली शाजनाएच लोक अदालत के मजिस्ट्रेट          ग्राम पंचायत कोटपुरा में पेश हुयी। शपथी          विक्रम सिंह उपास्थित। शपथी को हुना          शथा। शपथी का कथन है कि विवादित          शाराजीयत इसका कब्जा है तथा वह वहा पर          काएत कर है। शपथी गांव में विवास नही          करत है और नही विवादित शाराजीयत          कब्जे काएत है। शपथी विवादित शाराजी          को विक्रय नही कर रहा है वही वसेस          अपनी शजीविका चलाता है। हुष कर          रहा है और करत रहेगा। शपथी के पुरा          पार्थक्य पत्र को स्वारिज करने का शपथी के          क्रिया। बत्रावली का अदालत करत कर          शपथी के द्वारा हुपना कब्जा होना बतल          हुये शपथी द्वारा बेटवल करत की          धमकी होना सब कह कर रिकार्ड व          नोटे की थथा स्थिति चाही है। मजमे          शास्र में लोगों से जानकारी करत पर          विवादित शाराजी पर वसेस से शपथी          का कब्जा होना बतलाया गया। प्रकरण          को चलते हुये लगभग ६ वर्ष का समय          से चका है शपथी द्वारा अभी तक रिकार्ड          की स्थिति बतल बतलते बाएत कोई          कार्य क्रिया जाना नही पाया गया।          विवादित शाराजी में फिलका हिल व          स्वत्व निहित है यह तो मूल वाद में          लाएय के आकार पर लय क्रिया जायेगा।       </p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	<p>इस प्रकरण में प्रथम हुक्म का काल व सुविधा का संलग्न साधन के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। अतः हम प्रार्थना पत्र पार्थी स्वारिज किया जाना प्रयत्न समझते हैं।</p> <p>अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र पार्थी इली स्तर पर स्वारिज किया जाना है। पत्रावली केशव कुमार सेकर सम्बन्धित मूल वाद के साथ संलग्न है।</p> <p>निर्णय आगडिनांक 25.11.18 को लिखाया जाकर लोक अदालत कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कोटपुरा में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपखण्डाधिकारी</b>          धौलपुर (राज.)       </p>	